

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 272/2022

जितेन्द्र कुमार मावलिया पुत्र प्रकाशचन्द्र मावलिया जाति जाट निवासी चंदपुरा तहसील
जिला सीकर

—वादी —

बनाम

1. संतरा देवी पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीनी चंदपुरा तहसील व जिला सीकर
2. मनोह देवी पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीनी चंदपुरा तहसील व जिला सीकर
3. पटवारी, पटवार हल्का चंदपुरा तहसील व जिला सीकर
4. उप पंजीयक सीकर
5. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

— प्रतिवादीगण —

वाद बाबत उदघोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ.

वाद वादी ईकबाली जवाब व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 466 रकबा 0.2900 है0 वाके ग्राम चंदपुरा तहसील व जिला सीकर का वादी को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. अदालतों के लिए स्टाम्प		
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील		
जोड़	41.00	जोड़ 36.00

आज तारीख 18.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपसष्ट अधिकारी सीकर